

आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री चंद्रमोहन गर्ग, न्यायिक सदस्य तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 897/इंदौर/2018

निर्धारण वर्ष : 2009-10

श्री दीपक खंडेलवाल, नसरुल्लागंज जिला सिहोर	बनाम	आयकर अधिकारी सिहोर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एजेडब्ल्यूपीके 4162 सी		

अपीलार्थी की ओर से	लिखित प्रतिवेदन
राजस्व की ओर से	श्री पी.के.सिंगी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	29.07.2021
उद्घोषणा तिथि	29.07.2021

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपील विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल के आदेश दिनांक 12.09.2018 के विरुद्ध निदेशित है ।

2. निर्धारिती द्वारा इस अपील के संबंध में अधिकरण के समक्ष लिखित आवेदन दिनांक 29.07.2021 दाखिल किया है जिसमें यह निवेदन किया गया है कि निर्धारिती ने कर विवाद से विश्वास योजना, 2020 के अधीन आवेदन किया है तथा राजस्व द्वारा फार्म सं. 3 जारी किया गया है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपील का अनुसरण करने का इच्छुक नहीं है । निर्धारिती ने उपरोक्त कारण से वर्तमान अपील को वापिस लेने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया ।

विद्वान विभागीय प्रतिनिधि ने इस अनुरोध का विरोध नहीं किया है । अतः हम इस अपील को वापिस लिए जाने की अनुमति प्रदान करते है तथा इसे वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं

3. यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार, विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा यदि उसका इस योजना में भाग लेने हेतु किया गया आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से अस्वीकृत किया जाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारिती की अपील वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है ।

यह आदेश 29.07.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(चंद्रमोहन गर्ग)
न्यायिक सदस्य

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 29.07.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि,
गार्ड फ़ाइल